

Manufacturing the Fabric by the Technicians of Training-cum-Production Centre of Promphat

9375. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that technicians of the training-cum-production centre at Poromphat, near Manipur's capital Imphal, have been manufacturing the fabric on an experimental basis for the past few years;

(b) if so, the details regarding the progress; and

(c) the time by when cloth made from pineapple leaves will be in the market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. The experiments have been continuing since 1974-75, as refuted by the Government of Manipur.

(b) The Centre was established in 1970 and had equipment worth Rs. 8000. Mechanisation of the Centre was taken up thereafter and machines worth Rs 37,600 have since been added. 153 trainees have been trained at the Centre. Weavers' Service Centre Imphal is also actively associating itself in these experiments and has helped in producing more than 1000 metres of fabric.

(c) The cloth produced by this Centre is already available for sale in limited quantities at the Centre.

मंत्रालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्त हिन्दी टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों की सेवाओं को नियमित करना

9736. श्री रामानन्द तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1978 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/

विभागों में मंत्रालयवार/विभागवार धीरे-धीरे तदर्थ आधार पर कितने हिन्दी टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफर नियुक्त किए गए ;

(ख) क्या हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राजभाषा वर्ष, 1979 में तीन वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हिन्दी टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को सेवाएँ नियमित करने की है ;

(ग) क्या उनमें से अधिकांश को आयु अधिक हो गयी है और तीन वर्षों सेवा करने के बाद भी उनकी वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनकी सेवाएँ मानवीय आधार पर नियमित करने और इस राजभाषा वर्ष में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने का है , और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा बिधि, न्याय और कल्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही एकत्रित हो जायेगा, एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Profits of Textile Industry

9377 SHRI BALASAHEB VIKHRE-PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Textile Industry is making huge profits as a result of the new policy of

the Government by selling cloth at higher prices without any increase in the cotton price;

(b) whether the Government would take suitable action to ensure that the higher profits are also distributed to the Workers of the industry and the cotton growers;

(c) whether Government are reducing the price of cloth to give relief to the consumers; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). While the wholesale price index of raw cotton decreased from 168.4 during August 1978 to 164.2 during March 1979, the wholesale price index of cotton cloth (mills) increased from 182.7 during August 1978 to 185.5 during March 1979. Government have held discussions with the industry on the subject of increase in cloth prices and the industry were asked to devise steps to reduce prices of cotton cloth. The industry has responded with the following three alternatives:—

(i) a roll back to the level of cloth prices prevailing in December 1978;

OR

(ii) a price freeze on cotton cloth at the levels prevailing prior to 16th March, 1979;

OR

(iii) a reduction in ex-mill prices of cotton cloth to the extent of 2 per cent of the invoice rates obtaining prior to 16th March, 1979.

None of these alternatives has been acceptable to Government. Government is presently considering measures to compel the mills to roll back the prices to a reasonable level.

लघु उद्योगों को स्थापना के लिए बड़े उद्योगों को लाइसेंस दिया जाना

9378. श्री बलराज सिंह वरसै : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं बड़े उद्योगपतियों ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस लेना प्रारम्भ कर दिया है ,

(ख) यदि हा, तो क्या बड़े गृहों के ये लाइसेंस किन्हीं कानूनी त्रुटियों के कारण दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हा, तो कानूनी त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) लघु एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विभाग तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) तथा (ग). दिसम्बर, 1977 में संसद के समक्ष रखी गई नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्र तथा छोटे नगरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया गया है । सरकार की नीति यह है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है केवल उन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा ही किया जाए । औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 19 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार बड़े गृहों की गतिविधियों का विनियमित करेगी ताकि उन्हें देश के समाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप लाया जा सके । जहाँ बड़े एकक चाहे बड़े गृहों से सम्बन्धित हों अथवा नहीं, अब तक लघु क्षेत्र को ली